3=131-

प्रतिलिपि आदेश दिनांक ~~30-07-13~~ 31-01-13

श्रा० कि० बजुलदल कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम गाँव सभा, मु० नं० - 31, अ० धारा - 143 2A, मौजा - करेहटा, परगना - तहसील - सदर; जिला - रायबरेली

निर्णीत वाद न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर

कापाप्रति लगा नहीं

प्रतिलिपि दे0 ...

न्यायालय उप जिला अधिकारी सदर, रायबरेली

वाद सं0– 31

धारा–143 ज0वि0अधि0
ग्राम–मनेहरू
प0त0 व जिला–रायबरेली।

कंचन सेवा समर्पण संस्थान, रायबरेली बनाम गांव सभा मनेहरू

निर्णय

श्रीमती कंचन शुक्ला, सचिव कंचन सेवा समर्पण संस्थान, रायबरेली निवासिनी ग्राम मनेहरू, परगना, तहसील व जिला– रायबरेली द्वारा प्रार्थना पत्र अं0धा0 143 ज0वि0 अधि0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम मनेहरू प0त0 व जिला रायबरेली के खाता सं0 825 की भूमि सं0 318मि0/1.2650 हे0 स्थित ग्राम मनेहरू, की संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खातेदारिया है तथा ग्राम मनेहरू के खाता सं0 411 की गाटा सं0 318मि0/1.2650 हे0 की भी खातेदारिया है। प्रश्नगत भूमि के चारो ओर आबादी बसी हुई है, माकानात बने हुए हैं तथा व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रश्नगत भूमि नं0– 318मि0/2.530 हे0 स्थित ग्राम मनेहरू पर कंचन सेवा समर्पण संस्थान के द्वारा विद्यालय का निर्माण कर उसका संचालन किया जा रहा है। उक्त भूमि पर विगत दो वर्षो से खेती का कार्य नहीं किया गया है। विद्यालय निर्मित हो जाने के कारण भूमि व्यवसायिक रूप में प्रयोग की जा रही है। वादिनी ने भूमि सं0 318मि0/2.530 हे0 व्यवसायिक घोषित किये जाने की याचना किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार सदर को जाँच हेतु भेजा गया। तहसीलदार सदर ने अपनी आख्या दिनांक 23–01–2013 में अवगत कराया है कि ग्राम मनेहरू के खाता सं0 411 की गाटा सं0 318मि0/1.265 हे0 मालगुजारी 31.25 व खाता सं0 825 की गाटा सं0 318मि0/1.265 हे0 मालगुजारी 62.50 कंचन सेवा समर्पण संस्थान, रायबरेली सचिव, कंचन शुक्ला के नाम जरिये बैनामा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज खतौनी अभिलेख है। उक्त भूमि पर विद्यालय भवन निर्मित है। भूमि अकृषिक है तथा औद्योगिक महत्व की है।

क्रमशः———2–

मैने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर रक्षित तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 23–01–2013 एवं उद्धरण खतौनी सन् 1415 से 1420 फ0 के खाता सं0 825 के अवलोकन से स्पष्ट है कि गाटा सं0 318मि0/1.265 हे0 व खाता सं0 411 की गाटा सं0 318मि0/1.265 हे0 कंचन सेवा समर्पण संस्थान, सचिव, कंचन शुक्ला के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है एवं काबिज दखील है। गाटा सं0 318मि0/2.530 हे0 में वादी का विद्यालय संचालित है। भूमि अकृषिक/आवासीय है, जिस पर कृषि कार्य नहीं होता है। लेखपाल ने बयानों में वादी के दावे की पुष्टि की है तथा तहसीलदार सदर ने उक्त भूमि को अकृषिक/व्यवसायिक घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित किया है। खातेदार के प्रार्थना पत्र पर धारा 143 ज0वि0 अधि0 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गैर कृषिक प्रयोजन हेतु घोषणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्राथिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः ग्राम मनेहरू प0त0 व जिला रायबरेली की खतौनी 1415–1420 के खाता सं0 825 की गाटा सं0 318मि0/1.2650 हे0 व खाता सं0 411 की गाटा सं0 318मि0/1.2650 हे0 को तहसीलदार सदर रायबरेली की आख्या दिनांक 23–01–13 के क्रम में गैर कृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होने के कारण अकृषिक घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा, आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। भविष्य में यदि भूमि का प्रयोग कृषि के रूप में होता पाया जाय, तो ज0वि0 अधि0 की धारा 144 के अन्तर्गत पुनः कृषि योग्य घोषित कराने की कार्यवाही की जाय। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। एक प्रति उप निबन्धक सदर रायबरेली को भेजी जाय। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही सुरक्षित हो।

दिनांक : 31 जनवरी, 2013

(सुरेश चन्द्र तिवारी) 31.1.2013
उप जिला अधिकारी
सदर, रायबरेली।

प्रमाणित
30-1-13

ह० अस्पष्ट 20/9/13

नकल प्रतिलिपि आदेश दिनांक 13/9/13 पारित द्वारा श्री ओम प्रकाश पाठक अपर आयुक्त (प्रशा०) लखनऊ मण्डल, लखनऊ में निगरानी सं० 495/2012-13 धारा-333 ज० वि० अधि० जिला-रायबरेली / कंचन सेवा समिति संस्थान रायबरेली बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि

नकल प्रति संख्या
को लिपिक दिनांक

1759
20/9/13

20/9/13
20/9/13
20/9/13

न्यायालय अपर आयुक्त (प्रशासन), लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

निगरानी संख्या-495/2012-13 धारा-333 ज0वि0अधिनियम
जनपद-रायबरेली।

कंचन सेवा समर्पण संस्थान रायबरेली बनाम उ0प्र0 सरकार आदि

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार करायी गयी। निगरानी की ग्राह्यता पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। यह निगरानी वाद संख्या-330 अन्तर्गत धारा-144 ज0वि0अधि0 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम गाँवसभा आदि में उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन्होंने वाद संख्या-31 अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधि0 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम गाँवसभा में पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 को निरस्त किया है।

2- प्रश्नगत निगरानी इस आधार पर योजित की गयी है कि निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि संख्या-318मि0/1.265हे0 स्थित ग्राम मनेहरू से यार मोहम्मद शेख पुत्र स्व0 सिद्दीक मोहम्मद शेख ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 17.12.2009 क्रय किया था तथा भूमि संख्या 318मि0/1.265हे0 स्थित ग्राम मनेहरू, श्रीमती जैनबनिशां पत्नी यार मोहम्मद व शाह मोहम्मद पुत्र यार मोहम्मद से क्रय किया था, जिसका नामान्तरण उनके पक्ष में हो गया था। उक्त नामान्तरण आदेश को बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिये हुए पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 08.11.2010 एवं 29.08.2010 निरस्त कर दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने एक निगरानी मा0 राजस्व परिषद के समक्ष प्रस्तुत की। इस निगरानी संख्या-627/2010-11 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम श्रीमती अमीना बेगम तथा निगरानी संख्या-629/2010-11 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम सत्य प्रकाश दीक्षित व चार अन्य दायर की है, जिसमें मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2011 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नगत दोनों आदेश निरस्त कर दिया।

3- मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद द्वारा उपरोक्त निगरानियों में पारित अन्तरिम आदेश में तहसीलदार(न्यायिक), सदर, रायबरेली द्वारा वाद संख्या-854/272 अन्तर्गत धारा-34 भू0रा0अधि0 तथा वाद संख्या-855/271 अन्तर्गत धारा-34 भू0रा0अधि0 क्रमशः कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम जैनबनिशां आदि तथा कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम यार मोहम्मद शेख में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2012 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि पर निगरानीकर्ता का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित करने का आदेश दिया गया, जिसका क्रियान्वयन हो गया है।

1755/2013

4- निगरानीकर्ता द्वारा एक वाद संख्या-31 अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधि0 कंचन सेवा समर्पण संस्थान रायबरेली बनाम गांवसभा मनेहरू उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली के न्यायालय में योजित किया गया, जिसमें पारित अपने आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा वादग्रस्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि घोषित किया गया, जिसकी अमलदरामद भू-अभिलेखों में की गयी।

5- दिनांक 30.07.2013 को उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली ने अपने कार्यालय से पत्र संख्या-1721/एसटी-एसडीएम/2013, दिनांक 30.07.2013 द्वारा निर्णय शीर्षक से एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि जोकि ग्राम मनेहरू की वर्तमान खतौनी के खाता संख्या 825/411 पर निगरानीकर्ता के नाम अंकित है, वह चारागाह की भूमि है और इस आधार पर वाद संख्या-31 अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधि0 में दिनांक 31.01.2013 को पारित आदेश को निरस्त किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी योजित की गयी है।

6- निगरानी पर प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 13.09.2013 को प्रस्तुत अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता ने वाद संख्या-855/271 अन्तर्गत धारा-34 भू0रा0अधि0 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम यार मोहम्मद शेख तथा वाद संख्या-854/272 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम श्रीमती जैनब निशा आदि में न्यायालय तहसीलदार, सदर, रायबरेली द्वारा पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 25.09.2012 द्वारा दोनों वादग्रस्त भूमि पर क्रमशः यार मोहम्मद शेख एवं श्रीमती जैनबनिशां का नाम निरस्त कर निगरानीकर्ता संस्था का नाम अंकित किये जाने का आदेश दिया गया, प्रमाणित प्रति उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली द्वारा वाद संख्या-31 अन्तर्गत धारा-143 ज0वि0अधि0 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम गाँवसभा मनेहरू में उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 जिसमें वादग्रस्त भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किये जाने की उद्घोषणा जारी की गयी है, की प्रतिलिपि तथा ग्राम मनेहरू की खतौनी वर्ष 1415-1420फ0 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी।

7- ग्राम मनेहरू की वर्तमान खतौनी के खाता संख्या-411 पर श्रेणी-1क के स्तम्भ-2, 3 व 4 में यार मोहम्मद शेख पुत्र स्व0 सिद्दीक मोहम्मद शेख का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। खतौनी के स्तम्भ 7-12 में अंकित परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा शीर्ष के अन्तर्गत खाते में स्थित गाटा संख्या 318मि0/1.278हे0 से अभिलिखित खातेदार का नाम निरस्त करके कंचन सेवा समर्पण संस्थान द्वारा सचिव, कंचन शुक्ला अंकित करने का आदेश दिनांक 25.09.2012 दर्ज हुआ। इसी ग्राम की खतौनी में खाता संख्या 825 पर श्रीमती जैनब निशा पत्नी यार मोहम्मद शेख तथा शाह मोहम्मद पुत्र यार मोहम्मद व संरक्षिका अल्फ़ाक मोहम्मद, आयु 12 वर्ष संरक्षक पिता स्वयं निवासी ग्राम पूरे मुजफ्फरपुर का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है और खतौनी के स्तम्भ 7-12 में तहसीलदार, न्यायिक के आदेश दिनांक 25.09.2012 के अनुपालन में उपरोक्त खातेदारों का नाम निरस्त कर खाता पर अंकित भूखण्ड संख्या 318/1.265हे0 पर कंचन सेवा समर्पण संस्थान, सचिव, कंचन शुक्ला का नाम अंकित है।

8- जिस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है, उस आदेश के शिरोपरि भाग पर कार्यालय उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली अंकित है तथा पत्र संख्या-1721/एसटी-एसडीएम /2013, दिनांक 30.07.2013 अंकित है। इसके बाद निर्णय शीर्षक से प्रकरण का विवेचन अंकित है, जिसके प्रस्तर-2 में यह कहा गया है कि विवादित गाटा संख्या सी0एच0-41 सी0एच0-45 के अनुसार चारागाह भूमि अंकित है, जो ज0वि0 अधिनियम की धारा-132 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सुरक्षित भूमि है। इस भूमि को न तो अंतरण हो सकता है और न किसी अन्य दूसरे उपयोग में लायी जा सकती है। लेखपाल की आख्या कतई भ्रामक है, गलत तथ्यों पर आधारित भ्रामक आख्या के लिए लेखपाल पूर्णतया दोषी है। इसी आदेश के प्रस्तर-3 में अंकित है कि नायब तहसीलदार दक्षिणी व तहसीलदार सदर ने भी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था को गैर नजरअंदाज करते हुए सर्वेक्षण शुल्क बिना जमा कराये सरकारी राजस्व हानि किया एवं गलत आख्या की संस्तुति करने के दोषी हैं। धारा-143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश नियम विरूद्ध होने के कारण वापस लिये जाने योग्य है और तहसीलदार वाद संख्या-31 दिनांक 31.01.2013 कंचन सेवा समर्पण बनाम गाँवसभा के ग्राम मनेहरू में पारित आदेश दिनांक 31.01.2013 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।

8- उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि गाटा संख्या 318मि0/1.265हे0 तथा गाटा संख्या 318मि0/1.265 कुल दो किता स्थित ग्राम मनेहरू परगना, तहसील व जिला रायबरेली, कंचन सेवा समर्पण संस्थान द्वारा सचिव, श्रीमती कंचन शुक्ला का नाम वर्तमान खतौनी में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। उपजिलाधिकारी, सदर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश

दिनांक 30.07.2013 पूर्णतया प्रशासनिक आदेश है, जिसे बिना न्यायिक प्रक्रिया का पालन किये हुए और बिना न्यायिक कार्यवाही के पारित किया गया है। इस आदेश की भाषा तथा वाक्य संरचना अत्यन्त भ्रामक और अस्पष्ट है। इस आदेश में जो तथ्य और निष्कर्ष अंकित किये गये हैं, वह अभिलेखों एवं साक्ष्यों से बिल्कुल समर्थित नहीं हैं और इस आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश पूर्णतया जल्दबाजी में, असंयत मनःस्थित में और क्षणिक आवेश में आकर पारित किया गया है, जो विधिसम्मत नहीं है।

9- अतः उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली द्वारा कार्यालय पत्र संख्या-1721/एसटी-एसडीएम /2013, दिनांक 30.07.2013 द्वारा पारित आदेश, जिसे पारित किये जाने के बाद वाद संख्या 330 अन्तर्गत धारा-144 ज0वि0अधि0 कंचन सेवा समर्पण संस्थान बनाम गॉवसभा के रूप में परिवर्तित किया गया, स्थिर रखने योग्य न होने के कारण निरस्त किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति उपजिलाधिकारी, सदर, रायबरेली को सूचनार्थ एवं एक प्रति तहसीलदार, सदर, रायबरेली को भू-अभिलेखों में तद्नुसार संशोधन हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल-दफ्तर हो।

दिनांकः 13.09.2013

(ओम प्रकाश पाठक) 13-9-13
अपर आयुक्त (प्रशासन)

20/9/13

20/9/13

1755
20/9/13